अपर उपायुक्त का न्यायलय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान टाईटल सूट 15/13–14

दामू हो एवं अन्य ..... वादी

बनाम

सुनीता देवी एवं अन्य ..... प्रतिवादी

आदेश

यह वाद दिनांक– 09.12.2014 को दामू हो एवं अन्य के द्वारा खाता संख्या– 137, मौजा– डिलियामार्या, प्लॉट संख्या– 2765 एवं 2766, रकवा क्रमशः– 0.11 एवं 0.06, कुल रकवा– 0.17 एकड़ पर अपना अधिकार और दखल के लिए दाखिल किया गया है। वाद सम्पत्ति का उल्लेख वाद पत्र के Schedule- B, C एवं D में उल्लेख किया गया है। वादी के द्वारा दावा किया गया है कि वाद सम्पत्ति से प्रतिवादी का दखल हटा कर वाद सम्पत्ति का दखल वादी को दिलाया जाये। वादी का यह दावा है कि वादीगण मूल खतियानी रैयत नारा हो, पिता– लाको हो के वंशज है, लाको हो के तीन पुत्र थे, 1. दूबराय हो 2. नारा हो तथा 3. कारू हो। दूबराय हो के एक पुत्र नायकी हो तथा नायकी हो एवं कारू हो का निरवंश मृत्यु हो गई। लाको हो का द्वितीय पुत्र नारा हो का एक पुत्र जिनका नाम जाम्बीरा हो है। जाम्बीरा हो के तीन पुत्र थे, जिनका नाम 1. नारा हो, 2. जम्बीरा हो 3. बुडू हो। नारा हो और जम्बीरा हो की निसंतान मृत्यु हो गई। वादी का वंशावली Schedule- A में दिया गया है। 1913 से 1918 के सर्वे सेटलमेंट में मौजा– डिलियामार्चा के खाता संख्या– 13, प्लॉट संख्या– 2035 जिसका रकवा– 16 कट्ठा 17 धूर का खतियानी रैयत नारा हो है। उक्त प्लॉट के पूरब और पश्चिम में कारू हो और नायकी हो का भूमि हैं। उक्त पुराना प्लॉट हाल सर्वे सेटलमेन्ट में खाता संख्या– 26 में दर्ज हो गया। इस वाद में प्लॉट संख्या 2765 और 2766, खाता संख्या– 26 के अन्तर्गत आया है। उक्त खतियान के कॉलम संख्या 8 में अवैध दखल मगनेशिया दुसाधिन सन् 1948 से 30 रूपया में बंधक के रूप में प्रविष्टि है। उक्त दोनों प्लॉट के पूरब–उत्तर में वादी के द्वारा नेवेटिया क्रशर लीज में दिया गया है, जो पक्का चार दिवारी से घिरा हुआ है। उक्त दोनों प्लॉट इस वाद में विवादित भूमि है। हाल सर्वे में विवादित भूमि गलत तरीके से गनी राम, पिता दशरथ राम के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि के किस्म का वर्णन मकान–सहन के रूप में उल्लेख है, जो गलत है। प्लॉट संख्या– 2776 खाली भूमि है एवं प्लॉट संख्या– 2775 के पूरब के कोने पर एक खफड़ा पोस मकान है, जो प्रतिवादी संख्या– 1 के द्वारा 7 वर्ष पूर्व वादी के आपत्ति करने पर भी निर्माण किया गया है। प्लॉट संख्या 110, 115, 1364, 1365, 2110, 2524, 2523, खाता संख्या– 26, मौजा– डिलियामार्चा के अन्तर्गत आता है, जो वादी की भूमि है। वादी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। उस स्थान पर प्रतिवादी, जो अनुसूचित जनजाति का नहीं हो सकता है। अतः वादी उक्त कारणों से यह वाद ऊपर वर्णित घोषणाओं और उनके पक्ष में डिक्रि के लिये दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी को नोटिस प्राप्त होने के उपरांत न्यायालय में उपस्थित हुए और उनके द्वारा लिखित बयान दाखिल किया गया कि वाद भूमि के उत्तर में नेवेटिया का क्रशर है और पश्चिम में गोकूल की भूमि है जो अनूसूचित जाति/जनजाति के सदस्य नहीं है। दक्षिण में रास्ता है और पूरब में गली है। प्रतिवादी का दावा है कि पुराना प्लॉट संख्या– 2035, खाता संख्या– 13, मौजा– डिलियामार्चा, रकवा– 6 विघा 12 कट्ठा 17 धूर का था। उससे वर्त्तमान विवादित प्लॉट संख्या– 2765 और 2766 कब और कैसे बना। हाल सर्वे का प्लॉट संख्या– 2765 और 2766 प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मनीराम खतियानी रैयत है, जिसका प्रकाशन 1964 में हुआ। उक्त खतियान के प्रविष्टि को सर्वे के समय से किसी ने आपत्ति नहीं की और हाल के सर्वे के प्रकाशन को ही मान्यता है। उक्त आधार पर विवादित भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 की है,

Scanned with CamScanner

जो कि खतियानी रैयत गनीराम की पुत्री और वारिस है। प्रतिवादी संख्या– 2 प्रतिवादी संख्या–1 के पति है। अतः यह वाद प्रतिवादियों को परेशान करने के लिये दायर किया गया है।

उभय पक्षों के द्वारा अपने समर्थन में गवाह और कागजात प्रस्तुत किया गया। वादी की ओर से तीन गवाह प्रस्तुत की गई एवं प्रतिवादी की ओर से स्वयं प्रतिवादी के द्वारा गवाही दी गई है। वादी की ओर से अपने दावों के समर्थन में कोई भी कागजात नहीं प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादी की ओर से हाल सर्वे 1964 की विवादित भूमि संबंधित खतियान प्रदर्श A, उक्त भूमि से संबंधित दो माल गुजारी रसीद प्रतिवादी सुनिता देवी के नाम से क्रमशः प्रदर्श B और B1 एवं उक्त भूमि की माल गुजारी रसीद गनीराम के नाम से निर्गत है। जिसे प्रदर्श C और अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा के कार्यालय से नमानतरण शुद्धिपत्र प्रतिवादी के नाम से निर्गत है। जिसे प्रदर्श D में अंकित किया गया है।

वादी का गवाह सं० 1 दामू हो का बयान है कि प्लॉट संख्या– 2765 के पूरब दिशा में 30' X 24 का भूखण्ड वादी का भूमि है। जो विवादित भूमि के प्लॉट संख्या– 2765 और 2766 पुराना प्लॉट संख्या– 2035, पुराना खाता संख्या– 23 के अंश से बना है। उक्त भूमि 1913–18 के सर्वे में वादी के पूर्वजों का था। प्रतिवादी या उनके वंशज उक्त भूमि को कभी दखल नहीं किये। खाता संख्या– 26, ग्राम– डिलियामार्चा निर्विवाद रूप से वादी के पूर्वजों की जीमन है।

वादी का गवाह सं० 2 रामाय तियू का ब्यान है कि विवादित भूमि के आस पास अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमि है अतः विवादित भूमि गौर आदिवासी की नहीं हो सकती है। अतः विवादित भूमि वादी की है। गनी राम को नहीं जानता हूँ। वादी उसे गवाही के लिये बुला कर लाये है और प्रश्नगत भूमि का कागज एक हफ्ता पूर्व दिखाये थे।

वादी का गवाह सं० 3 बम्पिया चाम्पिया का ब्यान है कि दोनों पक्षों के बीच भूमि संबंधी विवाद गत 17 वर्षों से चल रहा है। प्रतिवादिनी सुनिता देवी के द्वारा कागजात प्रदर्श A एवं B प्रस्तुत की है जिस भूमि पर उसका मकान बना है और वह अपने परिवार के साथ रहती है। जो उसे पैतृक सम्पति होने के कारण प्राप्त हुआ है। खतियान में मकान सहन दर्ज है, जो अब पक्का बन गया है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का बहस सुनने एवं कागजातों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि विवादित भूमि के आस पास आदिवासियों की भूमि है अतः गैर आदिवासी की भूमि नहीं हो सकती है, ऐसा कहना गलत है। भूमि की चौहदी उत्तर में नेवटिया का क्रशर है और पश्चिम में गोकुल की भूमि है जो आदिवासी नहीं है। वादी अपने दावे के समर्थन में कोई गवाह प्रस्तुत नहीं कर सका कि जिससे साबित हो कि विवादित भूमि पुराना प्लॉट संख्या– 2035 से बना है। हाल सर्वे में प्रश्नगत भूमि गनी राम के नाम से दर्ज है जिसका प्रकाशन सन् 1964 में हुआ है। जिसका खतियान प्रतिवादी के द्वारा दाखिल किया गया है। गनी राम का दखल निर्विवाद रहा और उसके उपरान्त उनकी पुत्री प्रतिवादी सं० 1 सुनीता देवी और प्रतिवादी सं 2 दामाद, मदन कुमार का दखल है।

उक्त के आलोक में यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी अपने दावा को प्रमाण करने में असफल रहे। अतः वादी के दावा को खारिज किया जाता है।

असंतुष्ट पक्ष के द्वारा अपर न्यायालय में अपील दाखिल किया जा सकता है।

लेखापित एवं संशोधित।

18.01.23
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

18.01.23
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

Digitally signed by Santosh Kumar Sinha
Date: 2023.02.16 15:17:45 +05:30
Location: 10.93.66.35

Scanned with CamScanner